प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006
के अन्तर्गत (समिति का गठन) नियमावली 2008
प्रवेश और फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या–413/प्र0फी0नि0स0/ /2010
लखनऊ::दिनांकः25 अगस्त, 2010

आदेश

1. प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006) में दिये गये निर्देशों के अनुसार किये जाने का प्राविधान है।

2. उ0प्र0 से निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश और फीस का नियमन एवं नियतन) अधिनियम 2006 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय निजी संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु संस्थाओं को प्रस्ताव/लेखा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे इस सम्बंध में समिति कार्यालय के पत्र संख्या–269–प्र0फी0नि0स0 की दिनांक 20.07.2010 द्वारा प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्रसारित कराई गयी थी, कि संस्थाये अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण, समिति कार्यालय की बेवसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर भरकर सचिव प्रवेश और फीस नियमन समिति बाँसमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ को दिनांक 30.07.2010 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समिति की दिनांक 19.07.2010 एवं 12.08.2010 को आहूत बैठक में निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें उन्होने समिति के समक्ष अपने सुझाव एवं तर्क प्रस्तुत किये।

3. **(I)** संस्था द्वारा सुनवाई के समय यह कहा गया कि वर्ष 2008–2009 के व्यय को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारण हेतु की गयी गणना पर छठे वेतन आयोग

द्वारा की गयी बढ़ोत्तरी को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। समिति के विचार से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो के विषय में यह माना जा सकता है, वेतन वृद्धि का प्रभाव निजी संस्थाओं में शिक्षकों व कर्मियों पर भी पड़ेगा। समिति द्वारा वित्तीय अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ पर व्ययभार संस्था द्वारा दर्शाये गये कुल व्ययभार का लगभग 25 से 30 प्रतिशत के मध्य होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रायः निजी संस्थानों में शैक्षिक स्टाफ का एक निर्धारित वेतनमान होता है, जबकि गैर शिक्षक कर्मचारी प्रायः फिक्स वेतन पर कार्य करते हैं, जिसमें उन पर छठे वेतन आयोग का प्रभाव सीमित होता है। संस्थाओं में वेतन मद में कुल 25 से 30 प्रतिशत व्ययभार बढ़ जायेगा जिसका कुल व्यय पर औसत 10 प्रतिशत की वृद्धि आयेगी। अतः शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा सत्र 2009–10 में आंकलित शुल्क पर 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित की गयी है, जो औचित्यपूर्ण है।

(II) संस्थान की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आंकलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र–छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0 सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं बी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचा में करना औचित्यपूर्ण माना है।

(III) समिति के समक्ष संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा तीन वर्ष के लिए लागू होता है। समिति ने उनके इस तर्क के सम्बन्ध में विचारोपन्रात यह निश्चय किया कि भविष्य में बढ़ती मंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्ययवृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः प्रचलित वास्तविक सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 5 प्रतिशत के हिसाब से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(IV) निजी क्षेत्र के संस्थाओं के प्रतिनिधियो द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत् वास्तविक छात्र–छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0 ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या से क्योंकि प्रतिनिधियों के कथनानुसार संस्था में अध्ययनरत् छात्र–छात्रायें परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण नहीं आते है एवं आगामी वर्षो में छात्र–छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। समिति के विचार से संस्थान में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश क्षमता ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 नार्म्स के आधार पर स्वीकृत होती है, जिससे संस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता बनी रहे एवं छात्र अपने शिक्षणकाल में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर डिप्लोमा प्रमाण–पत्र हासिल कर सके। यदि संस्थान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक होगी तो यह संस्थान के शैक्षिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह है। अनुत्तीर्ण छात्रों के कारण संस्थान में छात्रों की संख्या में हुई कमी के आधार पर शुल्क निर्धारण की गणना किया जाना उचित नहीं है, अतः समिति द्वारा संस्थान में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर ही शुल्क निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(V) समिति द्वारा डिप्रीशिएशन दरों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि स्टेट लाइन पद्यति शैक्षिक संस्थाओं हेतु ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना दूरगामी अवधि के लिये होती है, जो छात्र–छात्राओं को

लम्बे समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। शैक्षिक संस्थान की स्थापना में प्रारम्भिक निवेश में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं बी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर फैकल्टी एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रेक्चर उपलब्ध कराया जाना होता है तथा आरम्भ में छात्र–छात्राओं की संख्या भी कम होती है। संस्था द्वारा सृजित की गयी फैकल्टी एवं इन्फ्रास्ट्रेक्चर आदि का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षों तक होता रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से स्टेट लाइन पद्यति के अनुसार डेप्रीसिएशन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण है न कि डब्ल्यू0डी0वी0 पद्यति द्वारा, जहां प्रथम वर्ष में डेप्रीसिएशन की दरें अत्यधिक रहती हैं। अतः संस्था के शुल्क आंकलन में डेप्रीसिएशन को स्टेट लाइन पद्यति पर आधारित रखना समिति द्वारा उचित माना गया।

4. निजी संस्थानों द्वारा संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण कराये जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/लेखापुस्तको का निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षण किया गया एवं संस्था की सुनवाई में प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये तर्कों एवं सुझावों को संज्ञान में लेते हुए समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुंची।

5. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2008–2009 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2008–2009 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2009–2010 के लिए 5 प्रतिशत सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढ़ोत्तरी रेट आफ इन्फलेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गयी, प्राप्त धनराशि में वर्ष 2010–2011 से लागू छठे वेतन आयोग की बढ़ोत्तरी को संज्ञान में लेते हुए 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है तथा वर्ष 2011–2012 के लिए सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2012–2013 के लिए पुनः सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी इस प्रकार वर्ष 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 में की गयी बढ़ोत्तरी क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं पुनः 5 प्रतिशत का औसत

मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया है।

6. समिति द्वारा गणना करने पर यह पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं में कुल मिलाकर 57 विविध प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है तथा संस्थाओं में भिन्न–भिन्न अवधि के जैसे– तीन वर्षीय इंजीनियरिंग, दो वर्षीय फार्मेसी एवं एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि औद्योगिक एवं तकनीकी उच्चीकरण हेतु नये पाठ्यक्रम भी समय–समय पर लागू किये जाते है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में पाठ्यक्रमवार शुल्क निर्धारण किया जाना लाभदायक नहीं होगा बल्कि पाठ्यक्रम के समयावधि अनुसार शुल्क निर्धारण करना उपयोगी रहेगा।

7. अतः समिति द्वारा निजी संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता हैः–

क्रम सं0	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित शुल्क
1.	तीन वर्षीय इंजीनियरिंग/फार्मेसी तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम	रू0 28000.00
2.	दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रम	रू 20000.00

8. शुल्क निर्धारण का कार्य एक सतत् प्रकिया है, तथा यह भी उल्लेखनीय है कि सत्र 2009–2010 समाप्त हो गया है। इसलिए समिति के विचार से सत्र 2010–2011 से शुल्क निर्धारित किया जाता है। समिति द्वारा तदनुसार निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2010–11 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है।

10. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या–3393/सोलह–1–2009–5 (डब्लू–48) /2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

(यू0एस0 तोमर) सदस्य कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ	(अरविन्दनारायणमिश्र) सदस्य विशेष सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन	(वृन्दा सरूप) अध्यक्ष प्रमुख सचिव व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्राचार्य/निदेशक ....
2. प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण /पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक विभाग।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा, परिषद /संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त सयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव